कैलाश माली वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा०प० अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए  मुकदमा नम्बर. 33/2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>2020/00065 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 7.06.2020 | प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जगदीश चन्द्र मेनारिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०ए०के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात **मौजा कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 112 में अंकित आराजी नम्बर 1224, 1231, 1236, कुल किता–3 कुल रकबा 0.5400 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 111, की आराजी नम्बर 1227, 1230, कुल किता–2 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर खाता संख्या 110 की आराजी नम्बर 1228, रकबा 0.6700हैक्टेयर खाता संख्या 69 की आराजी नमबर 1197 , 1198, 1223, 1225, 1226, 1229, किता–6 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर** स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद मे नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे<br>वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में **मौजा कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 112 में अंकित आराजी नम्बर 1224, 1231, 1236, कुल किता–3 कुल रकबा 0.5400 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 111, की आराजी नम्बर 1227, 1230, कुल किता–2 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर खाता संख्या 110 की आराजी नम्बर 1228, रकबा 0.6700हैक्टेयर खाता संख्या 69 की आराजी नमबर 1197 , 1198, 1223, 1225, 1226, 1229, किता–6 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर** भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के [illegible] पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का [illegible] तामील जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो ।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Anju Sharma<br>Date: 2021.03.17 17:20:33 IST<br>Reason: SelfAttested<br>(अंजु शर्मा)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>भदेसर | |

Scanned with CamScanner